

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/2306

दिनांक - 30.9.19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 गंगाराम पुत्र लाधाराम वगैराह जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।		1 पोकराराम पुत्र लाधाराम वगैराह जाति सुथार निवासी सांगाणा कुआ, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-201/2019 दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डूडियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1446 रकबा 01.05 बीघा, खसरा संख्या 1531/1448 रकबा 17.10 बीघा व खसरा संख्या 1579/1448 रकबा 41.01 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



क्रमांक रीडर/2019/ 2307 to 2310
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गंगाराम पुत्र लाधाराम जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पोकराराम पुत्र लाधाराम वगैराह जाति सुथार निवासी सांगाणा कुआ, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक- 30.9.19

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर